(52)

मंडल कार्यालय आदेश-18/2025

L .N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III

Date - 19.06.2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेडतारोड
समस्त लोको पायलट, लोको पायलट शंटर एवम सहायक लोको पायलट

विषय: लोको पॉयलट दवारा ट्रेन संचालन के दौरान गति सीमा का पालन करना (G&SR 4.08,4.09)

ट्रेन संचालन के दौरान निर्धारित गति सीमा तथा स्थायी/अस्थायी गति प्रतिबन्ध की कड़ाई से अनुपालना हेतु सभी मुख्य निरीक्षकों को निर्देश दिए जाते है कि अपने नामित व अन्य स्टाफ की इस विषय पर निम्न निर्देशो के बारे मे काउन्सलिंग कर मंडल कार्यालय में रिपोर्ट जमा करवाये।

- ऑन ड्यूटी के लिए अंतिम क्षणों में भाग दौड़ न करें। समय से साईन ऑन करे तथा कॉशन को अतिध्यानपूर्वक पढें व जांचे इससे गति प्रतिबन्ध के अनुपालन में आत्मविश्वास रहेगा तथा गति प्रतिवन्ध के उल्लंघन से बचाव होगा।
- LP/ ALP कॉशन ऑर्डर की अपनी प्रति स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करे तथा यह सुनिश्चित करें कि दिया गया कॉशन आर्डर उनकी ही गाड़ी के लिए है।
- LP/ ALP अपने कॉशन ऑर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दोनों आपस में कॉशन आर्डर पर चर्चा कर आश्वस्त हो जाये तथा LP/ ALP अपने-अपने कॉशन ऑर्डर पर लिखे कि "मैंने गति प्रतिबन्ध समझ लिया है" कोई संशय नहीं है।
- कॉशन आर्डर में किसी भी बिंदु (दिनांक, समयावधि, किमी, गति, खण्ड, कटिंग, धुंधला लिखा होना आदि पर किसी प्रकार का संशय होने पर क्रू कन्ट्रोलर Dy.SS से बात करके, पूर्णतः स्पष्ट कर ले। (G&SR 4.09(3))
- कॉशन आर्डर को चालक दल हमेशा अपने सामने आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर रखेगा मैन लाईन के कॉशन ↑ पर लूप लाइन के कॉशन पर • चिन्ह बनाने से याद रखने में मदद मिलती है।
- गाड़ी संचालन के दौरान कैब में LP और ALP आपस में अनावश्यक/व्यर्थ की बातचीत न करें।
- किसी ब्लॉक सेक्शन में यदि कोई कॉशन नहीं है तो "निल कॉशन" कॉल आउट करें।
- LP तथा ALP सेक्शन में प्रवेश करते समय कॉशन के प्रति सजग रहे, प्रभावशाली तरीके से स्पीड सहित किमी नम्बर कॉल आउट कर उनका कड़ाई से अनुपालन करें।
- यदि कोई आकस्मिक कॉशन आर्डर मिलता है तो उसका कड़ाई से अनुपालन करें, डायरी में नोट करें तथा CNL को सूचित करें।
- यदि कॉशन आर्डर मिला हो, परन्तु नियमनुसार SR का बोर्ड न लगा हो, तो KM/OHE MAST नंबर से उसकी पालना करे तथा कॉशन आर्डर पर लिखे व CMS में दर्ज करे।
- यदि कॉशन आर्डर में SR का उल्लेख न हो परन्तु कॉशन इण्डिकेटर लगा हो तो सावधानीपूर्वक SR का पालन करें कंट्रोल/ ट्रेन मेनेजर को बताये एवं ऑफ ड्यूटी के समय CMS में दर्ज करें।
- OHE से सम्बन्धित SR मिलने पर पेन्टो लोअर/रेज जोन पर अत्यधिक सतर्क रहे।
- टर्न आउट एवं कॉस-ओवर पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें (G&SR-4.10(3))
- लॉन्ग हॉल ट्रेन वर्किंग के दौरान लीडिंग लोको एवम ट्रेलिंग लोकों के क्रू कार्य से पूर्व कॉशन आर्डर मिला लें। SR पालन हेतु वाकी टॉकी या ट्रेन मेनेजर द्वारा समन्वय बनाये जिससे ट्रेन पार्ट/ SR VIOLATION की घटना न हो।
- ऑन एप्रोच सिगनल या टूबल शूटिंग के दौरान SR से ध्यान कदापि न हटाएं।
- स्टॉप इन्डीकेटर बोर्ड और बेनर फ्लैग का कड़ाई से अनुपालन करें।
- CAUTION पालन के उपरांत गाड़ी की गति तभी बढ़ाये जब KM/OHE MAST नंबर अनुसार प्रतिबंधित गति क्षेत्र/TP/T/G बोर्ड पार कर जाये और ट्रेन मेनेजर द्वारा आल राईट मिल जाये।
- ALP तेज आवाज में SR कॉल आउट करे तथा LP इसे स्पष्टता से दोहराए।
- यदि ALP के SR के पालन करने हेतु कॉल आउट करने के बाद भी LP गति नियंत्रण नहीं करता है तो ALP समय रहते R.S /इमरजेंसी वाल्व का प्रयोग कर SR VIOLATION को बचाए।

Sr.DME (Enhm&P)
NWR, JU

Copy- ADRM (Op)/JU -for kind information
-Sr.DSO/JU-for kind information